**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1225**

**उत्तर देने की तारीख : 31.07.2023**

**सूक्ष्म, और लघु मध्यम उद्यमों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर)**

**1225. श्रीमती फूलो देवी नेतम :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सूक्ष्म, और लघु मध्यम उद्यमों को किए जाने वाले भुगतान में विलंब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समय पर भुगतान प्राप्त करने में क्या सहायता प्रदान की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एमएसएमई समाधान पोर्टल में ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) को शामिल करने की योजना बना रही है ताकि एमएसएमई ओडीआर के माध्यम से विलंबित भुगतान के विवादों का समाधान कर सकें ;

(ग) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) को एमएसएमई के विवादों को कुशल और त्वरित तरीके से हल करने के लिए ओडीआर सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, यदि हैं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यहि नहीं, तो नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री**

**(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)**

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को किए जाने वाले भुगतानों में होने वाले विलम्ब को रोकने तथा समय से भुगतान प्राप्त करने में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को किए जाने वाले विलम्बित भुगतानों के मामलों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है।
- एमएसएमई मंत्रालय ने शिकायतों को दायर करने तथा वस्तुओं और सेवाओं के खरीददारों द्वारा एमएसई को देय की जाने वाली बकाया राशि की निगरानी करने के लिए समाधान पोर्टल (https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx) की शुरुआत की थी।
- एमएसएमई मंत्रालय ने विलम्बित भुगतानों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक से अधिक संख्या में एमएसईएफसी की स्थापना करने का अनुरोध किया है। अब तक दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक से अधिक एमएसईएफसी की स्थापना करते हुए 152 एमएसईएफसी की स्थापना की जा चुकी है।
- एमएसएमई मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई को देय की जाने वाली बकाया राशि और मासिक भुगतानों की सूचना प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत संबंधी घोषणाओं के पश्चात दिनांक 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप-पोर्टल का सृजन किया था।
- भारत सरकार ने सीपीएसई तथा 500 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के कारोबार वाली सभी कम्पनियों को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स), जोकि विविध वित्तप्रदाताओं के जरिए एमएसएमई के ट्रेड रिसिवेबल्स में दी जाने वाली छूट संबंधी प्रकिया को सुविधाजनक बनाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, पर स्वयं को शामिल करने के लिए निर्देश भी दिया है।

- ऐसी कम्पनियां जिन्हें सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तथा जिनका सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किया जाने वाला भुगतान वस्तुओं या सेवाओं की स्वीकृति की तारीख अथवा मानित स्वीकृति की तारीख से 45 दिनों से अधिक समय से लम्बित है, को भी बकाया भुगतानों की राशि तथा विलम्ब के कारणों का उल्लेख करते हुए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को छमाही रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- बजट 2023 संबंधी घोषणा : आय कर अधिनियम की धारा 43ख के अंतर्गत : भुगतानों पर किए जाने वाले व्यय के लिए कटौती की अनुमति केवल तभी प्रदान की जाएगी जब एमएसएमई को वास्तविक रूप में भुगतान किया गया हो।

(ख) : एमएसएमई मंत्रालय विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की ''एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन'' (रैम्प) नामक स्कीम का कार्यान्वयन करता है। रैम्प के अंतर्गत संवितरण से सम्बद्ध संकेतकों में से एक संकेतक है यह एमएसएमई को किए जाने वाले विलंबित भुगतानों के मामले को कम करने वाला है जिसमें अन्य के साथ-साथ समाधान पोर्टल और ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ना भी शामिल है।

(ग) : एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा (18), अध्याय V के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद सुलह करने के लिए या तो मामले में स्वयं सुलह करेगी या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी ऐसे संस्थान या केन्द्र को संदर्भित करते हुए उस संस्थान या केन्द्र की सहायता लेगी तथा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 65 से 81 तक के प्रावधान ऐसे विवाद पर लागू होंगे यद्यपि यह उक्त सुलह उक्त अधिनियम के भाग III के अंतर्गत शुरू की गई हो।

*******